

कोर्ट - दिल्ली क्रि. नं. 9/23

दिनांक

आज्ञा पत्र

2-12-24

पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त एवं अपीलान्त स्वयं को बार बार आवाज दिलाई गई न्यायालय समय सांयकाल (5 बजे तक बार बार दिलाई गई। इन्तजार किया गया उसके बावजूद अपीलान्त एवं उनके अधिवक्ता अनुपस्थित रहे फलस्वरूप अपील अपीलान्त द्वारा पत्रावली एवं जदम पैसी में खरिज की जाती है। निजम तारे इजलास चुनाया गया। प्रकरण फौजदारी नुमांदा होकर नथर से कम होकर बाद तारीख तकमील दाखिल दफतर हो। En p

/ भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर